

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
प्रविस/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर

प्रविस, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर का अधिसूचना सं०: प्रशा/2025/पुनर्नियुक्ति/विविध दिनांक 31.12.2025

विषय :- सेवा निवृत्त रेल लेखा कर्मचारियों को संविदा के आधार पर पुनर्नियोजन (Re-engagement) के सम्बन्ध में।

संदर्भ :-रेलवे बोर्ड के परिपत्र संख्या: E(NG)11/2024/RC-4/9
दिनांक 15.10.2024,31.12.2024 एवं 20.06.2025

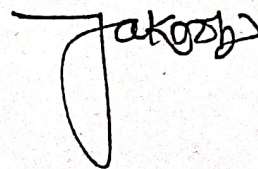
अधिसूचना

रेलवे बोर्ड के परिपत्र संख्या: E(NG)11/2024/RC-4/9 दिनांक 15.10.2024, 31.12.2024 एवं 20.06.2025 में निहित निर्देशों के अनुसार महाप्रबन्धक महोदय के अनुमोदनोपरान्त पूर्वोत्तर रेलवे के लेखा विभाग के विभिन्न इकाईयों (मुख्यालय, निर्माण संगठन, यांत्रिक कारखाना, सिगनल एवं पुल कारखाना गोरखपुर, लखनऊ/वाराणसी /इज्जतनगर मंडल एवं यांत्रिक कारखाना इज्जतनगर) हेतु रिक्तियों को भरने के लिए सेवा निवृत्ति वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी/लेखा, वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी/यातायात निरीक्षण, वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी/भंडार निरीक्षण, वरिष्ठ भंडार सत्यापक/भंडार सत्यापक की रेलवे बोर्ड द्वारा अधिसूचित पारिश्रमिक के आधार पर अधोलिखित पदों पर पुनर्नियोजन (Re-engagement) करने के लिए निर्णय लिया गया है :-

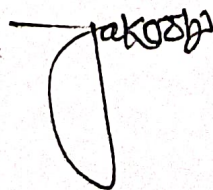
क्रम सं०	पदों का विवरण (संवर्ग)	पदों की संख्या
1.	वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा)	
2.	वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी/यातायात निरीक्षण	
3.	वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी/भंडार निरीक्षण	
4.	वरिष्ठ भंडार सत्यापक/ भंडार सत्यापक	
	योग	

उपरोक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त रेल लेखा कर्मचारियों के पुनर्नियोजन (Re-engagement) करने हेतु आवेदन पत्र विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में आमंत्रित किये जाते हैं जिनकी शर्तें निम्नवत् होगी:-

1. इस अधिसूचना के तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 20.01.2026 होगी।



2. पुनर्नियोजन (Re-engagement) के लिए आवेदक की उम्र 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। माह दिसम्बर-2025 तक सेवा निवृत्त हो रहे कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं। सेवा प्रमाण पत्र पुनर्नियोजन (Re-engagement) के पूर्व जमा करना होगा।
3. रिक्त पदों के विरुद्ध सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पुनर्नियोजन (Re-engagement) उनके सेवा निवृत्ति के समय उनके द्वारा भारित समान वेतन स्तर वाले पद पर पुनर्नियोजन (Re-engagement) किया जा सकता है।
4. इस अधिसूचना प्रकाशन तिथि से पूर्व पुनर्नियोजन (Re-engagement) के लिए प्रेषित आवेदन मान्य नहीं होंगे तथा स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे।
5. यह पुनर्नियोजन (Re-engagement) अधिकतम दो वर्ष तक के लिए होगा एवं इसके आगे अवधि विस्तार हेतु प्रति वर्ष व स्कीम की अवधि तक नियंत्रक अधिकारी के द्वारा संतोषजनक वर्किंग रिपोर्ट/अनुमोदन के आधार पर किया जा सकेगा। यह पुनर्नियोजन (Re-engagement) किये जाने से दो वर्ष तक की अवधि अथवा लेखा कर्मचारियों की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने पर अथवा उपरोक्त कर्मचारियों का विभागीय नामिका प्राप्त होने तक की अवधि, जो भी पहले घटित हो, तक ही सीमित रहेगी एवं इनका कार्य विस्तार उपरोक्त शर्तों के अधीन स्कीम की अवधि विस्तार तक सीमित रहेगा।
6. पुनर्नियोजन (Re-engagement) किये गये कर्मचारी के कार्य की त्रैमासिक आधार पर समीक्षा की जायेगी तथा कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर उनकी सेवा तत्काल बिना किसी कारण या स्पष्टीकरण के समाप्त की जा सकती है।
7. पुनर्नियोजन (Re-engagement) हेतु इच्छुक कर्मचारियों के 5 वर्ष का APAR भी देखा जायेगा। जिसकी ग्रेडिंग कम से कम Good होनी आवश्यक है।
8. यह पुनर्नियोजन (Re-engagement) केवल असंवेदनशील पदों पर ही किया जायेगा। पुनर्नियोजन (Re-engagement) किये जाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लेखा पद्धति का पूर्ण ज्ञान तथा इस विभाग में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न साफ्टवेयर का व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है।
9. पुनर्नियोजित कर्मचारियों को पूर्वोत्तर रेलवे के किसी भी इकाई के प्रभारी (In-charge) नहीं बनाया जायेगा। उन्हें वित्तीय एवं D&AR अधिकार प्रदान नहीं किये जायेंगे तथा किसी भी प्रकार का सुरक्षा प्रमाण जारी करने का अधिकार नहीं होगा। तदपि पुनर्नियोजित कर्मचारी वित्तीय एवं अन्य मामलों पर नियमित/सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों को अपने सुझाव दे सकते हैं।
10. पुनर्नियोजित कर्मचारियों के कार्य के घण्टे समान पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारियों के समान ही होंगे।



11. स्टाक वेरीफायर के पुनर्नियोजन (Re-engagement) के लिए सेवानिवृत्ति स्टाक वेरीफायर ही होना चाहिए।
12. रिक्त पदों के विरुद्ध सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पुनर्नियोजन (Re-engagement) करते समय मौजूदा प्रावधानों के अनुसार नामित प्राधिकार से उचित श्रेणी चिकित्सा योग्यता (Medical Fitness) प्राप्त की जानी होगी।
13. पुनर्नियोजन (Re-engagement) कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक रेलवे बोर्ड के पत्र सं० E(NG)।।/2024/RC-4/9 दिनांक 15.10.2024 में निहित किये गये निर्देशों / शर्तों के अनुसार तथा समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों / शर्तों से शासित होंगे।
14. अनुबन्ध अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि, मंहगाई भत्ता (डीए) तथा गृह किराया भत्ता (एचआरए) देय नहीं होगा।
15. पुनर्नियोजन (Re-engagement) किये गये भू0पू0 लेखा कर्मियों की सेवा कभी भी बिना किसी कारण या स्पष्टीकरण के समाप्त की जा सकती है।
16. जो सेवानिवृत्त कर्मचारी उपरोक्त रिक्त पदों के लिए पुनर्नियोजन हेतु इच्छुक हो, कृपया अपने आवेदनों को उपविसमुलेधि/सा० एवं मुख्या०, पू०रे/गोरखपुर, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक/पू०रे/लखनऊ, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक/पू०रे/वाराणसी एवं वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक/पू०रे/इज्जतनगर कार्यालय के कक्ष में इसके लिए रखे गये बाक्स में अपना आवेदन डाल/डलवा सकते हैं। इसके साथ ही इच्छुक अभ्यर्थी साधारण डाक से भी प्रधान वित्त सलाहकार / प्रशासन, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर पिन-273012 को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक-20.01.2026 को सांयकाल 18.00 बजे तक होगी। 18.00 बजे के बाद किसी भी प्रकार से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
17. रिक्तियों के अनुसार सम्बंधित संवर्ग (कैडर) के सेवा निवृत्त रेल सेवक ही आवेदन करने के पात्र होंगे। सम्बंधित कैडर से किसी भी रेलवे लेखा कार्यालय के सेवा निवृत्त लेखा कर्मी ही आवेदन करने के पात्र होंगे। लेखा प्रशासन कार्य की अपेक्षा के अनुसार कार्य वितरण कर सकता है।
18. यह योजना दिनांक 31.12.2027 तक ही वैध होगी। कालान्तर में रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
19. आवेदन पत्र का प्रारूप अधिसूचना के साथ संलग्न है।

अतः दिनांक 31.12.2025 तक सेवानिवृत्त हो रहे रेल लेखा कर्मचारी (वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी/लेखा, वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी/यातायात निरीक्षण, वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी/भंडार निरीक्षण, वरिष्ठ भंडार सत्यापक/भंडार सत्यापक) जो भारतीय रेलवे के लेखा विभाग के विभिन्न इकाईयों (मुख्यालय, यातायात लेखा, भंडार

Jakob

लेखा, यांत्रिक कारखाना लेखा, सिगनल एवं पुल कारखाना लेखा तथा निर्माण संगठन) से सेवा निवृत्त हुए हैं तथा रेलवे बोर्ड के परिपत्र संख्या: E(NG) 11/2024/RC-4/9 दिनांक 15.10.2024, 31.12.2024 एवं 20.06.2025 में निहित निर्देशों में दिये गये शर्तों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक के आधार पर कार्य करने हेतु इच्छुक हो, वे अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रोफार्मा में सभी अनुलग्नकों सहित बन्द लिफाफे में लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम अंकित करते हुए दिनांक 20.01.2026 तक प्रेषित कर सकते हैं।

विस्तृत अधिसूचना पूर्वोत्तर रेलवे के वेबसाइट www.ner.indianrailways.gov.in पर Department->Accounts में उपलब्ध है।

संलग्नक-आवेदन-पत्र का प्रारूप।

उप विसमुलेधि/सा0 एवं मुख्या0
कृते प्रविस/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर
31/12/25

सेवा में,

प्रधान वित्त सलाहकार/प्रशासन,
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

मधीनलम
स्वप्रमाणित
पारसपोर्ट साइज
फोटो

विषय :-सेवा निवृत्त रेल लेखा कर्मचारियों को संविदा के आधार पर पुर्ननियोजन
(Re-engagement) हेतु आवेदन पत्र।

संदर्भ:-1. प्रधान वित्त सलाहकार, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर का अधिसूचना सं0 प्रशा/
2025/पुर्ननियुक्ति/विविध दिनांक 31.12.2025

2. रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं. E(NG)11/2024/RC-4/9 दिनांक 15.10.2024,
31.12.2024 एवं 20.06.2025 में निहित निर्देशानुसार

1. नाम

हिन्दी

अंग्रेजी (In Block letters):

2. पिता का नाम :-

3. जन्म तिथि :-

4. सेवानिवृत्ति संबंधी विवरण:-

i पदनाम

ii. सेवानिवृत्ति की तिथि एवं कार्यालय :

iii. वेतनमान एवं पे लेबल/ग्रेड पे :

iv अंतिम मूल वेतन :

v मूल पेशन की राशि :

vi DAR/SPE/Vig Cases से मुक्त थे

vii सेवानिवृत्ति के समय कार्य स्थल

viii सेवानिवृत्ति के समय नियंत्रक

अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता :-

5. आवेदित पद का विवरण :-

i पदनाम :

ii. वेतनमान एवं पे लेबल एवं ग्रेड पे

iii पत्राचार का पता :

iv कार्य स्थल: (प्राथमिकता)

(गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी एवं इज्जतनगर)

6. सम्पर्क नम्बर (मोबाईल एवं ई.मेल) :-

संलग्नक-

- i सेवा प्रमाण पत्र की प्रति :
- ii पेशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) की प्रति :
- iii अंतिम चेतन पर्ची की प्रति :
- iv आधार एवं पैन की प्रति

घोषणा

मेरी जानकारी में ऊपर दिये गये सभी विवरण सही एवं सत्य है। मैं उपरोक्त के संबंध में किसी भी अपूर्ण/गलत सूचना के लिए स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी तथा ऐसी स्थिति में मेरी दावेदारी को बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त करने का रेल प्रशासन को पूर्ण अधिकार होगा। मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि पुनर्नियोजन के पश्चात् रेलवे बोर्ड/प्रविस/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर के द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले नियम एवं शर्तों का अनुपालन करूँगा/करूँगी।

दिनांक

हस्ताक्षर.....

स्थान

नाम.....